

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सीमित निविदा सूचना

क्रमांक-प.21(78)ए.सी.मरम्मत/पार्ट-IV/2023-24/350


दिनांक: 24-2-25

आयोग कार्यालय एवं अतिथिगृह में स्थापित विण्डो एवं स्पलिट एयर कन्डीशनर्स एवं वाटर कूलर की सर्विसिंग मय पार्ट्स एवं रख रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक दर अनुबंध करने हेतु संबंधित फर्मों, अधिकृत सर्विस केन्द्रों/डीलरों आदि से सीलबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य का विवरण निम्नप्रकार है:-

कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	निविदा शुल्क	बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि व समय
1. स्पलिट/विण्डो ए.सी. एवं वाटर कूलर की सर्विस एवं रख रखाव मय पार्ट्स	1.98 बोली प्रतिभूति राशि (2%) रु0 3960/-	200/-	दिनांक 4-3-25 दोपहर 1.00 बजे से	दिनांक 4-3-25 सांय 3.00 बजे

- बिड प्रपत्र एवं शर्तें www.rpsc.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
- निविदा शुल्क रु. 200/-वित्त विभाग के परिपत्र क.प.6(5) वित्त (सा.वि.ले.नि.) 2018, जयपुर दिनांक 27.04.2020 में वर्णित अनुसार E-Grass सिस्टम के माध्यम से बजट मद 0075-00-800-52-01 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
- बोली प्रतिभूति राशि (2% निविदा मूल्य) रु0 3960/-वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 4.6(5) वित्त (सा.वि.ले.नि.) 2018, जयपुर दिनांक 27.04.2020 में वर्णित अनुसार E-Grass सिस्टम के माध्यम से बजट मद 8443-00-103-00 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।



उप सचिव
समन्वय एवं व्यवस्था

क्रमांक-प.21(78)ए.सी.मरम्मत/पार्ट-IV/2023-24/351-353

दिनांक: 24-2-25

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- प्रभारी अधिकारी आई.टी.सेल को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को आयोग की वेबसाईट एवं sppp पोर्टल पर अपलोड करावें ।
- नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।



उप सचिव
समन्वय एवं व्यवस्था


निविदा प्रपत्र


आयोग कार्यालय एवं अतिथि-गृह में विण्डो एवं स्पिलिट एयर कन्डीशनर्स एवं वाटर कूलर की सर्विसिंग मय पार्टस एवं रख रखाव आदि के लिए सीमित निविदा

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
दूरभाष/मोबाईल नम्बर एवं डाक का पता
.....
बैंक खाता संख्या.....
बैंक का नाम शाखा का नाम.....
.....IFSC Code.....
2. किसको संबोधित की गई :- **सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर**
3. संदर्भ – सीमित निविदा सूचना संख्या..... दिनांक :
4. हम राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा जारी की गयी सीमित निविदा सूचना सं.....
दिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर की सुपुर्दगी आयोग को आवश्यक रूप से देनी होगी ।
6. वित्तीय निविदा में उद्धृत की गयी दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा ।
7. जी.एस.टी.पंजीयन सं.....पेन नम्बर.....की प्रति संलग्न है, इनके अभाव में बिड पर विचार नहीं किया जायेगा ।
8. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्तें अंकित नहीं करें । यदि अन्य शर्तें अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्तों को अमान्य करने का अधिकार आयोग को होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील


उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)


सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)

वित्तीय बिड

इस बिड से सम्बन्धित सभी प्रतिबंध एवं शर्तों को हमने/मैने पढ लिया है और ये प्रतिबंध एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा आयोग कार्यालय एवं अतिथि-गृह में स्थापित विण्डो एवं स्पिलिट एयर कन्डीशनर्स एवं वाटर कूलर सर्विस एवं मरम्मत करने एवं बिड में उल्लेखित समस्त कार्यों के सम्बन्ध में दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र.स.	कार्य का विवरण	कार्य की राशि (समस्त करों व चार्जज सहित) (FOR राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर)	
		राशि अंको में	राशि शब्दों में
1.	विण्डो ए.सी. सर्विसिंग प्रति ए.सी.		
2.	स्पिलिट ए.सी. सर्विसिंग प्रति ए.सी.		
3.	कम्प्रेसर बदलना 1.5 टन (विण्डो ए.सी.)		
4.	कम्प्रेसर बदलना 2.0 टन (विण्डो ए.सी.)		
5.	फेन मोटर रिवाइडिंग		
6.	नई फेन मोटर		
7.	केपेसेटर बदलना 15/25 एम.एफ.डी.		
8.	केपेसेटर बदलना 45/50 एम.एफ.डी.		
9.	गैस चार्जिंग (स्पिलिट/विण्डो ए.सी.)		
10.	अन्य कार्य		
11.	शिफ्टिंग (स्पिलिट/विण्डो ए.सी.)		
12.	फेन ब्लेड बदलना		
13.	ब्लोअर बदलना (विण्डो ए.सी.)		
14.	ब्लोअर बदलना (स्पिलिट ए.सी.)		
15.	थर्मोस्टेट बदलना (विण्डो ए.सी.)		
16.	स्टार्टिंग केपेसेटर 120/150 एम.एफ. बदलना		
17.	स्पिलिट ए.सी. पावर सप्लाय कार्ड रिपेयर		
18.	स्पिलिट ए.सी. पावर सप्लाय कार्ड बदलना		
19.	स्पिलिट ए.सी. कॉन्टेक्टर		
20.	स्टार्टिंग रिले बदलना		
21.	कन्डेन्सर कॉयल बदलना		
22.	कन्डेन्सर कॉयल रिपेयर		
23.	कॉपर वायर प्रति फीट		
24.	कॉपर पाईप प्रति फीट		
25.	कॉन्टेक्टर बदलना		
26.	कूलिंग कोयल (स्पिलिट ए.सी.)		
27.	कूलिंग कोयल (विण्डो ए.सी.)		
28.	वाल बदलना		
29.	आउट डोर/कॉयल/फेन जाली		
वाटर कूलर			
1	वाटर कूलर की सर्विस मय पार्टस		
2	कम्प्रेसर बदलना		
3	गैस चार्जिंग		
4	फेन मोटर रिवाइडिंग		
5	नई फेन मोटर/ नई नल टॉपी		

नोट :-1. निविदादाता समस्त कर व चार्जज सहित अपनी दरें प्रस्तुत करेगा ।

- निविदा से सम्बन्धित कार्य का विवरण, नियम व शर्तें संलग्न है जिनका अध्ययन अवश्य किया जावे। मै/हम इससे पूर्णतः सहमत है
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य खराब पार्टस आवश्यकतानुसार बाजार प्रचलित दर पर अनुमोदित करवाते हुए लगाना होगा।

24/7/22
अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)

24/7/22
सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)

24/7/22
उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)

हस्ताक्षर बोलीदाता :

नाम :

पूरा पता :

मोबाईल नम्बर :


Email :


राजस्थान लोक सेवा आयोग , अजमेर


निविदा के लिये शर्तें

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के विन्डो ए.सी.एवं स्प्लिट एसी तथा वाटर कूलर्स खराब होने की स्थिति में मरम्मत करवाने हेतु वार्षिक दर संविदा सीमित निविदा द्वारा स्वीकृत करने हेतु टर्म्स एवं कंडिशन (शर्तें) निम्नांकित होगी ।

1. निविदाएँ उचित रूप से मोहर बंद होनी चाहिए ।
2. एसी मरम्मत कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं से दर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं उक्त कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जावेगा जिसकी अधिकतम राशि 1.98 लाख तक होगी ।
3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेताधिकारी को लिखित में निविदादाताओं द्वारा दी जायेगी। इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा ।
4. निविदा प्रारूप स्याही से अथवा टंकण से भरा जायें। पेंसिल से भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की शर्तों को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र देगा ।
5. दरें शब्दों एवं अंको दोनो में लिखें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां/कांट-छांट नहीं होनी चाहिये। यदि किसी प्रकार की शुद्धि करनी है वह स्पष्ट रूप से मय अपने लघु हस्ताक्षर के करनी चाहिये।
6. दरें समस्त करें सहित देनी होगी। लागू जीएसटी दर का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा ।
7. क्रेता अधिकारी करें का पृथक से भुगतान नहीं करेगा। करें के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8. दरें एफ.ओ.आर. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर स्वीकार की जायेगी ।
9. विधि मान्यता-निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।
10. निविदादाता अपनी अनुमोदित दर का या उससे सार्वान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा / उप भाडें पर नहीं देगा ।
11. निविदा में वर्णित कार्य क्रेता अधिकारी के संतुष्टी के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई कर एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है एवं इस प्रकार निरीक्षण करने के समय भी निविदा निरस्त कर सकता है इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को भी अभिलिखित करेगा ।
12. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनहिता होगी ।
13. सुपुर्दगी अवधि सफल निविदादाता को सप्लायी आदेश जारी होने की तिथि से आदेश में दिये गये कार्यदिवस में सप्लाई/पूर्ण करनी अनिवार्य होगी ।
14. भुगतान- प्राप्त माल का राजकीय नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
15. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने या न्यूनतम दर वाली निविदा रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
16. सशर्त एवं तार द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं होगी।
17. सभी विवादो का न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
18. निविदा में दर्शायी मात्रा में कमी/वृद्धि करने का अधिकार क्रेता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
19. मरम्मत कार्य अच्छी क्वालिटी व सही होना चाहिये, सही नहीं होने पर निविदादाताओं को सामग्री बिना अतिरिक्त चार्ज लिये पुनः अपने खर्च पर ठीक कर देना होगा।
20. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा उसने निविदा में अंकित सामग्री आदि अंकित दरें से कम कीमत पर किसी भी ग्राहक का मरम्मत कार्य नहीं किया है।



उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)



सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)



अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)

21. (1)कार्य आदेश में सुपुर्दगी के लिये दिया गया समय अन्तिम होगा तथा सफल निविदादाता को आदेश में निर्धारित अवधि में सप्लायी करनी होगी। जो अधिकतम 7 दिवस होगी।
(2)वसूलिया:-सप्लायी किये गये सामान में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर, क्षय होने पर, टूट फुट होने पर राशि बिल में से काटी जायेगी यदि सप्लायी टूटे या कम पाये सामान समय पर संतोषजनक ढंग से नही बदलता है तो उसके देय राशि एवं प्रतिभूति राशि में से उसकी वसूली की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।
22. सफल निविदादाता को आदेश जारी होने कि तिथि से 07 कार्य दिवस के भीतर अनुमानित क्रय लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रु. 9900/- के एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैंकर चैक के रूप में जमा कराना होगा। सिक्वोरिटी राशि दर प्रस्ताव की अवधि जो कि क्रय आदेशानुसार संतोषजनक सप्लाई होने अथवा फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार के बकाया न होने के प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी।
23. निविदा में दी गई दरें एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। जिसे RTPP Act. 2012 एवं RTPP Rules 2013 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
24. निविदा प्रपत्र मूल ही स्वीकार किये जायेंगे।
25. शर्तों के अनुसार सम्पादित हानि की कटौती फर्म के बिलो मे से काटी जायेगी।
26. सभी प्रकार के करों की कटौति राजकीय नियमानुसार की जावेगी।
27. निविदा पर RTPP अधिनियम -2012 एवं RTPP नियम .2013 के प्रावधान प्रभावशील होंगे।
28. जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
29. दरें स्वीकार होने पर आयोग द्वारा दिये गये आदेशानुसार सर्विस/मरम्मत शीघ्रतिशीघ्र करना होगा।
30. किसी भी प्रकार की कमी/खराबी आती है तो उसे बदलने/ठीक करने की जिम्मेदारी अनुमोदित बोलीदाता की होगी।
31. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
32. पुराने पार्ट्स एवं सामग्री आयोग कार्यालय में जमा करानी होगी। तत्पश्चात बिल भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
33. रिप्लेस किये गये उपकरण पर एक वर्ष की वारन्टी भी देनी होगी।
34. कार्यादेश से दस दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर आयोग सचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता/बाजार से कार्य करवाए जा सकेगे जिस पर हुए अतिरिक्त/सम्पूर्ण व्यय की राशि सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी।
35. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली बिडों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
36. किसी भी बिड अथवा समस्त बिडों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को होगा।
37. मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें एवं नियम पढ़ लिये हैं तथा मैं/हम इससे पूर्णतः सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील


उप सचिव
(समन्वय एवं व्यवस्था)


सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
(लेखा)


अनुभाग अधिकारी
(समन्वय एवं व्यवस्था)